

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

-: आदेश :-

क्रमांक/ 12969 /जि.पं./व्या.पं./2017-18/

कांकेर,दिनांक 12/12/2017

छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक /पंचा. /पंग्राविवि/22/2016/150 नया रायपुर दिनांक 02.03.2016 एवं विभाग का अनुदेश क्रमांक / पंचा- 1216 / पंग्राविवि /22/2015 /404 दिनांक 28.07.2015 के परिपालन में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के निम्न कर्मचारियों का स्थानांतरण हेतु आवेदन इस जिला पंचायत को प्राप्त हुआ है । जिला पंचायत जगदलपुर के पत्र क्रमांक / 8389/जि.पं./अधी./ शिक्षा/ स्था./2017 जगदलपुर दिनांक 06.12..2017 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया । जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्रमांक / 10270/जि.पं./व्या.पं./2017-18 कांकेर दिनांक 28.10.2017 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया ।

दोनों जिला पंचायत के सहमति प्राप्त होने के फलस्वरूप श्रीमती माया मिश्रा व्या.पं. इतिहास शा.उ.मा.वि. उसेली विकास खण्ड अंतागढ़ को जिला पंचायत जगदलपुर हेतु भारमुक्त किया जाता है ।

क्रमांक	नियुक्ति / नियमितिकरण	शिक्षक संवर्ग का नाम	पंचायत का नाम	विषय	कार्यरत नाम	शाला का नाम	जहां स्थानांतरण में जाना है ।	अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक	दिनांक	स्थानांतरण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10.10.12 10.10.14	श्रीमती माया मिश्रा	इतिहास	शा.उ.मा.वि. उसेली विकास खण्ड अंतागढ़	शा.उ.मा.वि. उसेली विकास खण्ड अंतागढ़	जिला जगदलपुर	जिला जगदलपुर	8389/ 2017	06.12.	नकशाल प्रकरण

उक्त व्याख्याता पंचायत अपने शाला से भारमुक्त होने के पश्चात संबंधित खण्ड शिक्षा से भारमुक्त होकर स्थानांतरित जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ0 क्रमांक/ 12970 /जि.पं./व्या.पं./2017-18/

कांकेर,दिनांक 12/12/2017

प्रतिलिपि:-

- 1 अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ ।
- 2 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर
- 3 संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 4 कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
- 7 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला - कांकेर को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 8 जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ हेतु ।
- 9 डी.पी.एम. जिला पंचायत कांकेर को जिला पंचायत के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 10 खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्डजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
- 11 प्राचार्यजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
- 12 संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी.....को सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर